

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 1929 /2020 दिनांक 16.10.2020

श्री सचिन गुप्ता (RJ1022), विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम क्रम-02, जयपुर को दिनांक 20.08.2020 से 02.09.2020 तक 14 दिनों का उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है ।

श्री गुप्ता की अनुपस्थिति में विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम क्रम-03, जयपुर ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम क्रम-02, जयपुर के पद पर ही की गई ।

आज्ञा से

 16/10/2020


रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/10/2016/ 4731

दिनांक : 16 .10.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम क्रम-02, जयपुर को उनके पत्रांक 19 दिनांक 24.09.2020 के सन्दर्भ में ।
3. श्री सचिन गुप्ता (RJ1022), विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम क्रम-02, जयपुर ।
4. विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम क्रम-03, जयपुर ।


सहायक रजिस्ट्रार